

न्यायालय- अपर सत्र न्यायाधीश, चॉचौडा जिला गुना (म.प्र.)

Registration No. BA/184/2022

Filing No. BA/1318/2022

CNR No. MP0807001488/2022

Filing Date -17-10-2022

दीपक पुत्र लड्डूलाल आयु 27 वर्ष जाति पांचाल निवासी ग्राम निपानिया तहसील
छबडा जिला बांरा, राजस्थान

.....आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मृगवास जिला गुना म.प्र.

.....अनावेदक

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 18.10.2022

18-10-2022

आवेदक/आरोपी दीपक की ओर से श्री एन.के.मीना अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री शफीक खान, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना कुंभराज जिला गुना के अपराध क्रमांक 318/2022 अंतर्गत आयुध
अधिनियम की धारा 25, 27 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाचौडा के न्यायालय से सुसंगत रिमाण्ड पत्रावली
प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० पर
सुना गया।

आवेदन पत्र पर सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से अपने उक्त आवेदन पत्र पर
कोई बल न देना प्रकट किया गया।

अतः आवेदक का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स उसके बलहीन किए जाने से
निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मामले की केस डायरी वापस की जावे।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न कर उक्त पत्रावली न्यायिक
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाचौडा की ओर भेजी जावे।

जमानत आवेदन पत्र का परिणाम पंजी में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश
पत्रिका मय संलग्न पत्रक अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/—

(संजय श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश

चॉचौड़ा, जिला गुना (म०प्र०)